संख्या– / 11(02)/2020-03(02)/2019

प्रेषक,

उदय राज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 27 नवम्बर, 2020**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य सैक्टर नहर निर्माण मद के अन्तर्गत 03 योजनाओं के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2146/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27(राज्य सैक्टर) दिनांक 06.08.2020 एवं पत्र संख्या–3754/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27(राज्य सैक्टर) दिनांक 03.10.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर नहर निर्माण मद के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार 03 योजनाओं की विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत कुल धनराशि ₹ 120.85 लाख (रूपये एक करोड़ बीस लाख पिचासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रथम किस्त के रूप में ₹ 48.34 लाख (रू0 अडतालिस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(ii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iii) व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।

(iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(v) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2021 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

क्रमशः.........2

(viii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(ix) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(x) वित्त विभाग के शासनादेश सख्या–292/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–06–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनाओं–001–निदेशन एवं प्रशासन–02–अन्य रखरखाव व्यय–01–राज्य सैक्टर से पोषित नहरों का निर्माण–53–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–601/XXVII(2)/2020, दिनांक 20 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

सं0–2199 (1)/II(02)/2020–03(02)/2019, तददिनांकित–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अनु–2,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
उप सचिव।

क्रमश.....3

शासनादेश संख्या- 2199 / I(02)/2020-03(02)/2019, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0सं0	योजना का नाम	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत	वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 प्रतिशत अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4
1	जनपद उत्तरकाशी के मोरी वि0ख0 के कोटगांव नहर का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार की योजना।	34.11	13.64
2	जनपद देहरादून के सहसपुर वि0ख0 में कोटड़ा सन्तोर एवं मसन्दावाला नहरों के जीर्णोद्धार की योजना। (घो0सं0– 105/2020)	43.74	17.50
3	जनपद पौड़ी के वि0ख0 दुगड्डा के अन्तर्गत कोटद्वार स्थित दांयी खो नहर की रीच कि0मी0 0.450 से कि0मी0 0.850 के मध्य नहर के सुदृढ़ीकरण कार्य की योजना।	43.00	17.20
	कुल योग–	120.85	48.34

(रू0 अड़तालीस लाख चौंतीस हजार मात्र)

(अजीत सिंह)
उप सचिव।